पपरेंदा-सुमेरपुर राजमार्ग पर पैलानी में केन नदी पर बने पुल पर भी सुरक्षा के नहीं कोई इंतजाम

इस पुल पर भी लगे जाल तो केन नहीं बनेगी काल

1980 में बनकर तैयार हुआ था पैलानी क्षेत्र में केन नदी पर पुल

1500 से अधिक वाहन प्रतिदिन इस पुल से होकर निकलते हैं

जाली लगाइए जान बचाइए 3

बांदा, कार्यालय संवाददाता। पैलानी कस्बे में पपरेंदा-सुमेरपुर राजमार्ग पर केन नदी पर बने पुल पर लोहे की रेलिंग तो बनी है लेकिन जाली नहीं लगाई गई। इस वजह से बीते तीन सालों में करीब 10 लोगों ने पुल से छलांग लगा दी। आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने 'जाली लगाइए..जान बचाइए' मुहिम के तहत आसपास के लोगों से बात की तो पता चला कि कई बार लोहे की जाली लगाने की मांग की गई लेकिन उनकी कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई।

पैलानी कस्बे मनोहर लाल ने बताया कि पुल में सुरक्षा जाली के साथ-साथ रोशनी के इंतजाम न होने से कई हादसे हो चुके हैं। सुरक्षा जाली न लगी होने से कई बार पुल के ऊपर से शव भी फेंके गए हैं। सियाराम ने बताया कि इस मार्ग पर मौरंग लदे ट्रक दिन-रात गुजरते हैं। यह स्टेट हाईवे पर व्यस्ततम सड़क है। जहां पर 24 घंटे से में 1500 से दो हजार तक हल्के और भारी वाहन निकलते हैं। इस पुल से गुजरने वाले वाहन जनपद हमीरपुर और फतेहपुर की ओर गुजरते हैं। कई बार लोहे की ऊंची जाली लगाने की मांग जिम्मेदारों से की गई लेकिन आज तक किसी ने इस समस्या की ओर देखा तक नहीं।

अक्सर पुल के ऊपर से कूदकर जान देने की घटनाएं भी सामने आती हैं। दो-चार दिन तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आते हैं लेकिन कोई यह नहीं कहता कि जाली लग जाए तो इस तरह की घटनाएं बंद हो जाएं।

> जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलों में खुदकुशी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा जाली लगाए जाने को कार्ययोजना बनाई जाएगी। जिससे केन नदी के पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। - **मनोज कुमार पांडेय**, एक्सईएन, लोनिवि बांदा

पैलानी की केन नदी पर स्थित पुल पर जाली न लगी होने से अक्सर यहां से लोग कूदकर अपनी जान गंवा दे रहे हैं।

केन नदी पर स्थित पुल की टूटी रेलिंग से हादसे का शिकार हुआ वाहन। (फाइल फोटो)

बोले स्थानीय लोग

केन नदी पर स्थित यह पुल 1980 के दशक में बना था। इस पुल पर आज तक सुरक्षा जाली नहीं लग सकी है। साथ ही रात में रोशनी के इंतजाम नहीं है। अंधेर की वजह से कई बार बाइक सवार रेलिंग में टकरा गए। **-लक्ष्मीकांत गुप्ता**

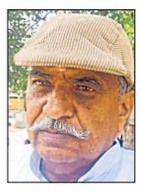

पैलानी पुल पर सुरक्षा जाली न लगी होने से लोग पुल के नीचे लोग कूदकर खुदकुशी कर लेते हैं। जिससे यह पुल डेथ प्वाइंट बनते जा रहे हैं। इसके चलते पैलानी के पुल पर कई बड़ी घटनाएं इसकी गवाह है। आज तक पुल पर जाली नहीं लगाई गई। **-राजबहादुर सिंह**

पैलानी में केन नदी पर बने पुल पर एक ओर पिचिंग बनाई गई है दूसरी ओर पीचिंग नहीं बनाई गई जिससे पुल के पीपो में मिट्टी भरी हुई है जब भी बाढ़ आती है मिट्टी खसक जाती है। कभी भी पीपों की कोठियां नीचे की ओर धंस सकती है। वहीं सुरक्षा जाली न होने से आत्महत्या की घटनाएं होती रहती हैं। **-पिंटू मिश्रा**, समाजसेवी

पुल की सबसे बड़ी कमीं है सुरक्षा जाली व रोशनी की व्यवस्था नहीं है। दूसरे जनपदों में पुलों पर सुरक्षा जाली लगाकर कवर किया गया है। अगर डीएम इस ओर ध्यान दें तो खुदकुशी की घटनाओं को रोका जा सकता है। अगर प्रयास भी किया तो लोग उसे किसी तरह बचा लेंगे। जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। **-अवनीश त्रिवेदी**

प्रमुख घटनाएं

घटना 1
बांदा के इंजीनियर ने बेटी को मारकर पैलानी के पुल से नदी में फेंक दिया था। मौके पर मौजूद लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी।

केस 2
पैलानी के बउआ सिंह मानसिक रूप से कमजोर था। उसने पुल से नदी में छलांग लगा दी थी। जिससे उसकी मौत हो गई थी।

घटना 3
जनवरी 2013 में पुल से युवती की हत्या कर शव फेंक दिया गया। मृतका के गले में कसाव के निशान मिले वहीं चेहरे में चोट का भी निशान थे।

घटना 4
14 अक्टूबर 2019 को धुंधपुर के शिवपूजन 13 वर्षीय बेटे अंकुर व बेटी रजनी को लेकर ननिहाल जा रहा था। अचानक पुल पर बेटे के सामने बेटी रजनी को नदी में फेंक दिया था।

पैलानी की केन नदी पर स्थित पुल, नहीं लगी सुरक्षा जाली।

पुलों पर रोके जाएं खुदकुशी के मामले

बांदा जिले की सीमा से फतेहपुर को जोड़ने वाले मरका पुल पर मौजूदा साल में ही दो बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लोक निर्माण विभाग की अनदेखी से घटनाएं जारी हैं। पुल पर सुरक्षा जाली लगाए जाने की व्यापारियों ने मांग की है।

जिले में जब भी किसी पुल का निर्माण किया जाए तो सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखा जाए। मरका पुल मे मौजूदा साल में बहुत वीभत्स रही हैं। जिसे सुनकर दिल दहल उठता है। **-जगन्नाथ गुप्ता**, व्यापारी

जिला प्रशासन को मरका पुल पर हो रहे खुदकुशी की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करें। **- अरविंद**, कसौधन व्यापारी

मरका पुल पर सुरक्षा जाली लगाए जाने के लिए संगठन मांग करता है। इसको लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपेंगे। **-केके महंत**, नगर अध्यक्ष जन उद्योग व्यापार संगठन बबेरू

पुलों पर सुरक्षा जाली लगाए जाने को जनहित के मुद्दे को हिन्दुस्तान की मुहिम सराहनीय है। पुल पर लोक निर्माण विभाग को जाली लगानी चाहिए। **- सुधीर अग्रहरि**

शहर 30s

गुम हुए किशोर को उसकी मां से मिलाया

बांदा। आपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने गुम हुए किशोर को परिजनों को सौंपा है। एएसपी शिवराज ने बताया विशेष किशोर पुलिस ,थाना मानव तस्करी रोधी पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन व अन्य संयुक्त टीम ने गुम हुए 12 वर्षीय बच्चे के परिजनों को पता लगाकर मां कोसुपुर्द किया गया है। 9 मई को खुरहण्ड में बच्चा मिला था, जो मानसिक रूप से कमजोर होने से नाम एवं पता स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा था। उसे तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर भेजा गया।

नाव चोरी कर नदी में डुबाने के आरोप में दो पर केस

बांदा। गौड़ी बाबा निवासी विनोद कुमार ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि नौ नवंबर 2025 की रात 12 बजे पहड़िया डेरा निवासी बहादुर और राजेश दोनों नावेंले गए और नदी में डुबो दिया। बाद में यही नाव पहड़िया डेरा घाट के पास मिलीं। उसने कई बार कोतवाली नगर पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद प्रभारी निरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया।

जान गंवाने वाले व्यापारियों को दी श्रद्धांजलि

बांदा। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने लोहिया पुल के पास एक मैरिज हाल में श्रद्धांजलि सभा की। आंदोलनों में अपनी जान गंवाने वाले व्यापारियों को श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष अमित सेठ भोलू ने बताया साहस के धनी लाला विशंभर दयाल और पंडित श्याम बिहारी मिश्रा,रविकांत गर्ग, अरुण अग्रवाल ने व्यापार मंडल की बुनियाद रखी और व्यापारियों को संगठित कर संघर्ष का बिगुल बजाया। यहां मौके पर मनोज जैन, सुरेश गुप्ता कान्हा,संजय का कोकोनिया आदि मौजूद रहे।

चेक हड़पकर मारपीट का आरोप, केस दर्ज

बांदा। मटिया नाका निवासी शैलेंद्र कुमार रैकवार ने बताया कि वह डीजे लाइट का काम करता है। वर्ष 2025 में कमल सिंह के माध्यम से 70 हजार रुपये उधार लिए थे। आरोप है कि गारंटी के नाम पर उससे सेंट्रल बैंक का ब्लैंक चेक ले लिया गया था और रुपये वापस करने के बाद भी चेक नहीं लौटाया गया। कई बार चेक वापस मांगने पर उसे टाल दिया गया। बाद में कमल सिंह के पार्टनर राममूरत द्विवेदी पर चेक अपने पास रखने और उसका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया।

कोर्ट के आदेश पर एससी-एसटी में मुकदमा

बांदा। बाबा तालाब निवासी रामबाबू वर्मा ने बताया बेटा 4 मार्च की रात घर लौटते समय तालाब के पास सामने से आ रही चार पहिया गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। आरोप है कि घटना के बाद आरोपी वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। जब वह शिकायत लेकर पदमा यादव व पवन के घर पहुंचा तो वहां गाली-गलौज की गई।

युवक ने जहर खाया, कराया गया भर्ती

बांदा। पैलानी थाना क्षेत्र के पड़ोहरा गांव निवासी 40वर्षीय रफीक पुत्र अब्दुल ने घरेलू किसी बात से नाराज होकर सल्फास की गोलिया गटक लिया। हालत बिगड़ने पर घरवालो को पता चला। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर उसका इलाज चल रहा है।

भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त एसपी मणिलाल की पेशी आज

- पिछली सुनवाई में मणिलाल नहीं पहुंचे थे
- भाई ने कबरई थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर

बांदा, संवाददाता। भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की विशेष अदालत में महोबा के बर्खास्त एसपी मणिलाल पाटीदार समेत अन्य आरोपी आज पेश होंगे। बुधवार को मामले की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में मणिलाल नहीं पहुंचे थे।

महोबा के कबरई निवासी क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को वीडियो वायरल किया था, जिसमें बर्खास्त एसपी मणिलाल पाटीदार पर हर माह छह लाख रुपये उगाही का आरोप लगाया था और कहा था कभी भी हत्या कराई जा सकती है। इसके बाद एसपी ने प्रेसवार्ता कर व्यापारी को बड़ा जुआं व सट्टा कारोबारी बताया था। दबाव बनाने के लिए व्यवसायी पर जुआं अधिनियम में फर्जी एफआईआर दर्ज कराई थी। सात सितंबर 2020 को व्यवसायी इंद्रकांत साले ब्रजेश शुक्ला व विजनेश पार्टनर बालकिशोर के साथ छतरपुर के होटल झंकार में रुके थे। दूसरे दिन आठ सितंबर को इंद्रकांत छतरपुर से कार से कबरई के लिए निकले। बाधवाखेड़ा के किनारे गोली लगने से वह घायला कार में मिले। उन्हें महोबा अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया। यहां 13 सितंबर को व्यवसायी की मौत हो गई थी। भाई रविकांत त्रिपाठी ने 11 सितंबर को कबरई थाने में भ्रष्टाचार समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई।

जनगणना और स्वगणना में बांदा प्रदेश में पहले स्थान पर

बांदा, संवाददाता। जिलाधिकारी के निर्देशन पर जनगणना एवं स्वगणना अभियान में उत्तर प्रदेश में बांदा जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

जनपद में संचालित स्वगणना अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा ग्राम स्तर से लेकर नगर क्षेत्रों तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने घर-घर जाकर लोगों को स्वगणना के प्रति जागरूक किया और आमजन को ऑनलाइन माध्यम से स्वयं एवं अपने परिवार की गणना करने के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी अमित आसेरी ने बताया कि यह उपलब्धि केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि जनपद के जागरूक नागरिकों, मीडिया बंधुओं, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं समस्त विभागों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बांदा ने टीमवर्क, पारदर्शिता एवं जनसहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो अन्य जनपदों के लिए भी प्रेरणास्त्रोत बनेगा।उन्होंने समस्त जनपदवासियों को बधाई देते हुए कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं अभियानों में जनता की सक्रिय सहभागिता ही विकास की वास्तविक पहचान है। बांदा जनपद ने रिकॉर्ड स्तर पर सहभागिता दर्ज कर प्रदेश में अपनी अलग पहचान स्थापित की है।

टाप फाइव में ये जिले
बांदा, औरैया, चित्रकूट, सहारनपुर, अमेठी आदि शामिल हैं।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ई-नीलामी बिक्री सूचना

मण्डल कार्यालय SAM, मण्डल कार्यालयः प्रथम तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, प्रयागराज-211001
ई-मेलः coaldsam@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ब्रिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस।

एतदद्वारा सामान्य रूप से सर्वसाधरण को एवं व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता (ओं) और जमानतकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि सेक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास बंधक/प्रभारित नीचे बताई गई अचल सम्पत्ति, जिसका बैंक/सेक्योर्ड क्रेडिटर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा लिया जा चुका है, को सम्बन्धित ऋणकर्ता(ओं) और जमानतकर्ता(ओं) से बैंक/सेक्योर्ड क्रेडिटर्स को देय, देय राशि की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में बतायी गई तिथि को **'जहां है जैसा है'**, **'जो है जैसा है'** और **'जो भी वहाँ है'** के आधार पर बिक्री किया जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) सम्बन्धित सम्पत्तियों के एवज में नीचे दी गई तालिका के अनुसार जमा किया जाएगा।

प्रतिभूतित आस्तियों का सेड्यूल

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणी / जमानतकर्ता का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्तियों का विवरण/स्वामियों का नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	(अ) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत माँग सूचना की तिथि (ब) बकाया राशि (स) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अर्न्तगत कब्जा तिथि (द) कब्जा का प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	(अ) आरक्षित मूल्य (रू. लाख में) (ब) ई.एम.डी. (रू. लाख में) (स) बिड वृद्धि राशि (रू. लाख में)	ई-नीलामी तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋण भार का विवरण
01	**अल्लापुर (100120)** **श्री बिन्नू गुप्ता पुत्र श्री अमरनाथ गुप्ता** **श्रीमती अंजू पत्नी श्री बिन्नू गुप्ता** **उधारकर्ताः- श्री बिन्नू गुप्ता पुत्र श्री अमरनाथ गुप्ता, निवासी-** मकान संख्या 347/11एम, गयासुद्दीनपुर, परगना एवं तहसील- सदर, प्रयागराज-211011 (उ.प्र.) **सह-उधारकर्ता/बंधककर्ताः- (1) श्रीमती अंजू पुत्री रामायण दास, निवासी-** इटवां, रामपुर, चित्रकूट-210205 (उ.प्र.) **(2) श्रीमती अंजू पत्नी बिन्नू गुप्ता, निवासी-**मकान संख्या 347/11एम, गयासुद्दीनपुर, परगना एवं तहसील-सदर, प्रयागराज-211011 (उ.प्र.)	आराज़ी संख्या 203, मौज़ा- गयासुद्दीनपुर उपरहार, परगना एवं तहसील- सदर, प्रयागराज में स्थित प्रॉपर्टी का साम्यिक बंधक जिसका क्रमांक संख्या 6232 पर जिल्द संख्या 8319 बही संख्या 1 के पृष्ठ संख्या 101 से 122 तक जो दिनांक 14.08.2024 को सब-रजिस्ट्रार-II सदर, प्रयागराज के ऑफिस में पंजीकृत है। **क्षेत्रफल-** 50.40 वर्ग मीटर। **स्वामिनीः श्रीमती अंजू पत्नी श्री बिन्नू गुप्ता** **चौहद्दी (डीड के अनुसार):- पूर्व-** प्रस्तावित 17 फीट चौड़ा रास्ता, **पश्चिम-** आराज़ी का हिस्सा, **उत्तर-** आराज़ी का हिस्सा, **दक्षिण-** खिन्नू का प्लॉट	(अ) 25.11.2025 (ब) रू. 5,90,453.71 + देय ब्याज दिनांक 01.05.2026, से प्रभावी एवं अन्य प्रभार (-) वसूली, यदि कोई हो (स) 20.02.2026 (द) प्रतीकात्मक कब्जा	(अ) 8.17 (ब) 0.82 (स) 0.10	29.06.2026 को प्रातः 11.00 से सायं 04.00 बजे तक	ज्ञात नही

नियम एवं शर्तें

(1) बिक्री सुरक्षा नियम (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 और आगे की नियम एवं शर्तों के अधीन होगी। (2) सम्पत्तियों को **'जहां है जैसा है'**, **'जो है जैसा है'** और **'जो भी वहाँ है'** के आधार पर बेचा जा रहा है। (3) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उदघोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (4) बिक्री के लिए **दिनांक 29.06.2026** को **सुबह 11.00 बजे से सांय 04:00 बजे** के मध्य वेबसाइट **(1) https://ebkray.in (2) www.pnbindia.in** पर उपलब्ध कराए गये ई-नीलामी मंच के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। (5) बिक्री की विस्तृत नियम तथा शर्तों के लिए, कृपया **https://ebkray.in** और **www.pnbindia.in** को देंखें।

सरफेसी अधीनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांकः 26.06.2026 स्थानः प्रयागराज प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, मो.- 9163549111